उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या-4929/9-7-08-21 के./08
लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

नगर निगम, कानपुर बोर्ड की बैठक दिनांक-28.08.08 की कार्यवाही में कतिपय अशों को अनियमित पाते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर ने अपने पत्र संख्या-179/न.आ./कैम्प/08/09 दिनांकः 06.09.08 द्वारा उन्हें प्रतिषेध करते हुए निरस्त करने हेतु शासन को संदर्भित किया गया। नगर आयुक्त की आख्या/संस्तुति पर निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ का भी अभिमत प्राप्त किया गया जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् हैः-

1- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही के अंश ''जॉच होने तक **जी.आइ.एस.** सर्वे का कार्य जिस अधिकारी (अपर नगर आयुक्त द्वितीय) के पास है, उनसे लेकर अपर नगर आयुक्त 'सदन' को सदन की भावनाओं के अनुरूप दे दिया जाये'' का परीक्षण करने पर इसे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 112 के प्राविधान के अनुकूल नहीं पाया गया।

2- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही के अंश ''चूंकि शहर के सभी लोग पढ़े-लिखे नहीं है और पढ़े-लिखे लोग भी कभी-कभी सरलकर फार्म नहीं भर पाते। इन परिस्थितियों में भी गलत फार्म भरे जाने पर करदाता के ऊपर चार गुना टैक्स का प्राविधान है, जोकि अनुचित है।'' कार्यवाही का उक्त अंश नगर निगम, सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 8 'शास्ति' के विपरीत है।

3- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही के अंश ''नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि पुराने भवनों पर सरलकर नहीं लगाया जायेगा। जिन भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया गया है, सरलकर के दायरे में नहीं आयेंगे।'' उक्त तथ्य नगर आयुक्त के संज्ञान में लाये बिना अंकित किया गया है। नगर आयुक्त के अनुसार उनके द्वारा इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

4- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही के अंश '' अध्यक्ष ने कहा कि जो भवन कर के दायरे में नही है, उनसे सरलकर फार्म भरवाकर टैक्स वसूला जाये तथा पुराने भवनों पर जिनमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया गया है, उन पर वर्ष 2005-06 के सामान्य कर में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए कर निर्धारण करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार

RAI

अपर नगर आयुक्त
कानपुर नगर निगम

पुराने कर दाताओं से जिनके भवनों के स्वरूप में कोई अभिवृद्धि अथवा परिवर्तन नहीं हुआ है, उनसे बिना सरलकर का फार्म भरवाये, पूर्वत पद्धति से टैक्स जमा कराया जाएं। ऐसे भवन स्वामी अपना-अपना कर जमा कर सकते है। " के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 207 से 210 के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के अनुसार कार्यवाही करते हुए नयी कर निर्धारण सूची तैयार करने की कार्यवाही प्रचलित होने से ऐसी स्थिति में तदर्थ रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि करना अथवा पूर्व पद्धति से टैक्स जमा कराया जाना नियमानुकूल नहीं है।

5- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही के अंश " **जी.आइ.एस** सर्वे की जॉच के अधार पर कर दाताओं/भवन स्वामियों को उनके पते पर नोटिस भेज कर आपत्तियां मांगी जाये, ताकि सर्वे की वास्तविक जॉच सामने आ सके। " का नियमानुसार कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उ0प्र0 सम्पत्ति कर नियमावली 2000 (यथा संशोधित) के नियम 5-क के अंतर्गत सूची का प्रकाशन एंव आपत्तियों की प्राप्ति तथा निस्तारण की कार्यवाही की स्पष्ट व्यवस्था है। उक्त पारित प्रस्ताव नियमावली के प्राविधान के अनुरूप नहीं है।

6- नगर निगम बोर्ड की कार्यवाही का अंश "इ.डब्लू.एस.कालोनी/श्रमिक कालोनी अथवा श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में बेरोजगारी/नौकरी छूट जाने के कारण किसी ने अपने उक्त श्रेणी के भवन में निर्बल आयवर्ग श्रेणी की छोटी सी दुकान की है, तो वह व्यवसायिक टैक्स के दायरे में नहीं आयेगी" नियमों के अंतर्गत नहीं है क्योंकि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 (ड़) व (छ) में निर्बल वर्ग को कर में छूट के प्रविधान के अनुरूप नहीं है।

7- नगर निगम बोर्ड का अंश "बहुखण्डीय भवनों में प्रथम मंजिल में 10 प्रतिशत, दूसरी मंजिल में 20 प्रतिशत तथा तीसरी एवं उसके ऊपर 30 प्रतिशत की छूट देय होगी" उचित नहीं है क्योकि नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उ0प्र0 सम्पत्ति करनियमावली 2000 में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः नगर निगम कानपुर की बैठक दिनांक- 28.08.2008 की कार्यवाही के उक्त अंशो पर नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर और उस पर निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/अभिमत, संगत अधिनियम व नियमावली के प्राविधानों के दृष्टिगत उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा-537 के प्रविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोंपरांत उसे प्रतिषेधित करने का निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(9)

1- मण्डलायुक्त कानपुर।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
3- जिलाधिकारी कानपुर।
4- नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

RAI